

कार्यालय गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, जनपद बागेश्वर।

जिला मिशन प्रबंधक इकाई,

(दीन दयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बागेश्वर)

पत्रांक 357 / डे0एन0आर0एल0एम0 / विज्ञापित / 2026-27 दिनांक 04 अगस्त 2026

विज्ञापन व्यवस्थापक,

अमर उजाला / हिन्दुस्तान / दैनिक जागरण बागेश्वर।

विषय - आई0पी0आर0पी0 / बदलाव सखी तैनाती हेतु विज्ञापित प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

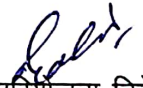
कृपया उपरोक्त विषयक विज्ञापित आपके समाचार पत्र के कुमाऊं संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
अतः अनुरोध है कि अपने समाचार पत्र के दिनांक 04.08.2026 को प्रकाशित होने वाले अंक में विज्ञापित को अधिकतम
रुपये 3,000 (तीन हजार रुपया मात्र) के अंतर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

अतः विज्ञापित प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कर अधोहस्ताक्षरी
कार्यालय को दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक: विज्ञापित।


परियोजना निदेशक,
गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास
एवं रोजगार प्रकोष्ठ
बागेश्वर।

- प्रतिलिपि :-**
- 1 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय के साथ कि वह उक्त विज्ञापित एवं संबंधित सूचनाओं को जनपद वेबसाइट bageshwar.nic.in में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
 - 2 समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 3 जिला सूचना अधिकारी महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
 - 4 मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।


परियोजना निदेशक,
गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास
एवं रोजगार प्रकोष्ठ
बागेश्वर।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बागेश्वर

विज्ञप्ति

जनपद बागेश्वर के समस्त विकास खण्डों में डे0एन0आर0एल0एम0 योजनान्तर्गत गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशनों में रिक्त पदों के सापेक्ष आई0पी0आर0पी0/बदलाव सखी के चयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर निम्न पात्रताएं रखने वाले सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों (सी0आर0पी0)/CRP के आवेदन निम्न रिक्त पदों हेतु आमंत्रित किये जा रहे हैं।

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	रिक्त पदों की संख्या	न्याय पंचायत पर गठित सीएलएफ जहां आई0पी0आर0पी0/बदलाव सखी का चयन किया जाना है
01	बागेश्वर	03	गरिमा सीएलएफ-सिमकूना, ऊर्जा सीएलएफ-आरे, चेतना सीएलएफ-पंतगांव (कुल-03)
02	कपकोट	03	हिमालय सीएलएफ-सिमगढी, सरमूल सीएलएफ-लोहार खेत, संगम सीएलएफ-कर्मी (कुल-03)
03	गरुड़	04	संजीवनी सीएलएफ लौबांज, दिव्येश्वरी सीएलएफ-बैजनाथ, लाहूरघाटी सीएलएफ-तिलसारी, बैजनाथ सीएलएफ-गढसेर (कुल-04)
कुल		10	

गतिविधि का विवरण

क्र0 सं0	गतिविधि	समय सीमा
01	सम्बन्धित विकासखण्ड से आवेदन पत्र एवं अनुदेशों का प्राप्त किया जाना	13 अगस्त 2026 सांय 5:00 बजे तक
02	सम्यक रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विकासखण्ड में जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	18 अगस्त 2026 सांय 5:00 बजे तक
03	विकासखण्ड स्तर पर लिखित परीक्षा का आयोजन	23 अगस्त 2026
04	जनपद स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन	27 अगस्त 2026

सेवाशर्तें:

- उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है जिसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
- अपरिहार्य/विशेष परिस्थितियों में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है जिसकी सूचना पृथक से अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
- कुल पूर्णांक-100 अंक (लिखित परीक्षा- 80 अंक) (साक्षात्कार-15 अंक) (स्नातक/अन्य शैक्षिक योग्यता-05 अंक)
- मासिक मानदेय 12000, यात्रा भत्ता 2500, संचार व्यय 500 ।
- आई0पी0आर0पी0/बदलाव सखी आवेदन हेतु अन्य पात्रतायें सेवाशर्तें आदि मानक आवेदन पत्र में अंकित है। जिसे किसी भी कार्य दिवस में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय कपकोट/बागेश्वर/गरुड़ <https://bageshwar.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

परियोजना निदेशक
गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास
एवं रोजगार प्रकोष्ठ,
बागेश्वर।





यू0एस0आर0एल0एम0 के अंतर्गत आई0पी0आर0पी0 / बदलाय सखी हेतु आवेदन पत्र

- 1- आवेदक का पूरा नाम.....
- 2- पिता/ पति का नाम.....
- 3- पदनाम (सी0 आर0 पी0/सी0 सी0 आर0 पी0/बी0 आर0 पी0/एस0 आर0 पी0).....
- 4- स्वयं सहायता समूह का नाम एवं पद.....
- 5- ग्राम संगठन का नाम एवं पद.....
- 6- क्लस्टर संगठन का नाम एवं पद.....
- 7- जन्म तिथि(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....
- 8- पत्र-व्यवहार का पता.....
.....
- 9- न्याय पंचायत का नाम.....
- 10- विकासखण्ड का नाम.....
- 11- जनपद का नाम.....
- 12- मोबाइल नम्बर
- 13- शैक्षिक योग्यता-

Paste your latest colour
Photograph here

क्रम संख्या	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	श्रेणी
1	हाईस्कूल					
2	इण्टरमीडिएट					
3	ग्रातक					
4	ग्रातकोत्तर					
5	अन्य					



14. आईपीओआरपीओ/बदलाव सखी की चयन की पात्रताएँ एवं मानक*:

क्रम संख्या	आईपीओआरपीओ/बदलाव सखी की चयन की पात्रताएँ एवं मानक	हों अथवा नहीं में भरा जायेगा	प्राप्तांक (इस कॉलम को कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
1	बुक कीपर के रूप में स्वयं सहायता समूह के समस्त अभिलेखों का कम से कम एक वर्ष एवं छः माह तक रख- रखाव		
2	कम से कम 75 बैठकों के अभिलेखीकरण का अनुभव		
3	स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, प्रबंधन एवं बैठक प्रक्रिया का ज्ञान		
4	बुक कीपर के कर्तव्यों व दायित्वों का स्पष्ट बोध		
5	क्या आपका समूह पंच सूत्र का पालन करता है		
6	क्या आपने अपने समूह से CIF से अथवा CCL से ऋण लिया है		
7	क्या आप अन्य विकासखण्ड अथवा जनपद में रहकर 2 वर्ष के लिये कार्य करने की इच्छुक/ सहमत हैं		
8	क्लस्टर/ न्याय पंचायत स्तर पर 15 दिन का बुक कीपिंग का प्रशिक्षण लिया है		
9	राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह की बुक कीपिंग/ स्वयं सहायता समूह की अवधारणा एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण		
10	अपने ग्राम संगठन/ सी. एल. एफ./ विकासखण्ड के अंतर्गत 3 से 5 वैच में पी. आर. पी./ बी. एम. एम. के पर्यवेक्षण में बुक कीपिंग का प्रशिक्षण दिया है		
11	कम से कम 10 समूहों का ऑडिट किया है		
12	साफ़ व सुन्दर लेखनी तथा वार्तालाप का कौशल		
13	कम से कम 10 समूहों की MCP बनाने में सहयोग क्या है		
14	पी. आर. पी. के साथ 15 दिन का कार्य करते हुए प्रशिक्षण लिया है		

15. प्रशिक्षण अनुभव*:

प्रशिक्षण का विषय/ प्रकार	संस्था का नाम	प्रशिक्षण दिवस/ माह की संख्या	प्रशिक्षण वर्ष
स्वयं सहायता समूह का बुक्स ऑफ़ रिकॉर्ड			
ग्राम संगठन का बुक्स ऑफ़ रिकॉर्ड			
संकुल संघ का बुक्स ऑफ़ रिकॉर्ड			
MCP- एम.सी.पी.(परिवार विकास योजना)			
सी. आर. पी. प्रशिक्षण			
सीनियर सी. आर. पी. प्रशिक्षण			



बी. आर. पी. प्रशिक्षण			
एस. आर. पी. प्रशिक्षण			
अन्य कोई सखी (बैंक, कृषि, पशु, उद्यम, सेतु सखी) प्रशिक्षण			
स्वयं सहायता समूह की अवधारणा एवं प्रबंधन			
ग्राम संगठन की अवधारणा एवं प्रबंधन			
संकुल संप की अवधारणा एवं प्रबंधन			

Note: Please mention only relevant Training Experience:

आईडीपीआईडीपी/बदलाव सखी चयन की पात्रताएँ एवं मानक के अंतर्गत

- 1-विंदु संख्या-1 के लिए ग्राम संगठन/ BMM द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 2- विंदु संख्या-2 के लिए ग्राम संगठन/ BMM द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 3- विंदु संख्या-5 के लिए ग्राम संगठन/ BMM द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 4- विंदु संख्या-6 के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की समूह पासबुक की छाया प्रति मान्य होगी।
- 5- विंदु संख्या-8 के लिए BMM एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 6- विंदु संख्या-9 के लिए USRLM द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 7- विंदु संख्या-10 के लिए BMM एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 8- विंदु संख्या-11 के लिए BMM एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 9- विंदु संख्या-13 के लिए BMM एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 10- विंदु संख्या-14 के लिए BMM एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

Certification*:

मेरे द्वारा I- PRP Policy में सभी नियम व शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया गया है तथा मैं उनका पालन करूँगी। मैं पुष्टि एवं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा इस प्रारूप में दी गयी जानकारी सही एवं पूर्ण है। यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत एवं अपूर्ण पाई जाती है, तब मेरा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाये। मैं इसके लिये कोई दावा नहीं करूँगी।

दिनांक:

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर*:

स्थान:

15th 2nd 3
1 5th 1
12th 3
1

12th Graduate - 2

आंतरिक पी.आर.पी. की चयन की पात्रताएं एवं मानक:-

- बुक कीपर के रूप में स्वयं सहायता समूह के समस्त अभिलेखों का कम से कम एक वर्ष छः माह तक रख-रखाव किया हो।
- कम से कम 75 बैठकों के अभिलेखीकरण का अनुभव रखती हो।
- स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा, प्रबन्धन एवं बैठक प्रक्रिया का ज्ञान हो।
- बुक कीपर के कर्तव्य व दायित्वों का स्पष्ट बोध हो।
- न्यूनतम 10वीं पास 12वीं अथवा अधिक को वरीयता।
- उसका समूह पंच सूत्र का पालन करता हो।
- उसने समूह से एम.सी.पी. गठन के साथ सी.आई.एफ. अथवा लोन लिया हो।
- अन्य विकासखण्ड या जनपद में रहकर 2 वर्ष के लिये कार्य करने का इच्छुक/सहमत हो।
- आयु 21 से 55 वर्ष हो।
- न्याय पंचायत स्तर पर 15 दिन का बुक कीपिंग प्रशिक्षण लिया हो।
- राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह बुक कीपिंग/ स्वयं सहायता समूह अवधारणा एवं प्रबन्धन पर प्रशिक्षण लिया हो।
- अपने ग्राम संगठन/सी.एल.एफ. विकासखण्ड के अन्तर्गत 3 से 5 बैच में पी.आर.पी./बी.एम.एम. के पर्यवेक्षण में बुक कीपिंग का प्रशिक्षण दिया हो।
- कम से कम 10 स्वयं सहायता समूहों का ऑडिट किया हो।
- साफ व सुन्दर लेखनी तथा वार्तालाप का कौशल हो।
- कम से कम 10 स्वयं सहायता समूहों को एम.सी.पी. बनाने में सहयोग किया हो।
- पी.आर.पी. के साथ 15 दिन का कार्य करते हुए प्रशिक्षण लिया हो।
- विकासखण्ड स्तर पर उक्त पात्रताओं रखने वाले सामुदायिक सन्तर्भ व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
- आवेदन पत्रों के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा व उनको विकासखण्ड स्तर पर मूल्यांकन कर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयनित किया जायेगा।

आंतरिक पी.आर.पी. के चयन के दायित्व

- आंतरिक पी.आर.पी. को सघन रिसोर्स ब्लॉक में कलस्टर स्तर पर तैनात किया जाएगा।
- आंतरिक पी.आर.पी. कलस्टर हेड क्वार्टर पर रहने वाला हो।
- आंतरिक पी.आर.पी. गाँव एवं तोकों में भ्रमण करना होगा।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू.एस.आर.एल.एन.
देहरादून